

झारखंड सरकार
स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
-:अधिसूचना:-

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....311...../श्री दुर्गानन्द झा, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-मधुबनी-बिहार) जिला शिक्षा पदाधिकारी, साहेबगंज को अपने कार्यों के अतिरिक्त अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है, जो दिनांक-28.02.2025 को श्री गोपाल कृष्ण झा, क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, संधाल परगना प्रमंडल, दुमका की वार्धक्य सेवानिवृति के पश्चात प्रभावी होगा।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....312...../श्रीमती अलका जायसवाल, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-हजारीबाग) क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची-अतिरिक्त प्रभार- उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए उप निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, झारखंड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....313...../श्रीमती नीलम आईलीन टोप्पो, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-राँची) जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए उप निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, झारखंड, राँची के पद पर पदस्थापित करते हुए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....314...../श्री प्रवीण रंजन, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-रामगढ़) जिला शिक्षा पदाधिकारी, हजारीबाग को अपने कार्यों के अतिरिक्त क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग एवं प्राचार्य, इंदिरा गांधी आवासीय विद्यालय, हजारीबाग का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा वाद डब्ल्यू०पी०(एस०) सं-2075/2025 में दिनांक-27.01.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत विभागीय आदेश सं-247 दिनांक-05.02.2025 की घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....315...../श्री मनोज कुमार, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-कोडरमा) जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम को उनके अपने ही वेतनमान में अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, कोल्हान प्रमंडल, चाईबासा का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....316...../श्रीमती निशु कुमारी, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-राँची) जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रातू, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती निशु कुमारी के अभ्यावेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचारोपरांत किए गए उपर्युक्त स्थानांतरण / पदस्थापन के आलोक में अनुमान्य स्थानांतरण भत्ता देय नहीं है।


19.2.25

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....317...../श्री संतोष गुप्ता, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-सिमडेगा) जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां को प्रशासनिक दृष्टिकोण से स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....318...../श्री कैलाश मिश्र, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-चतरा) जिला शिक्षा अधीक्षक, सरायकेला-खरसावां को उनके अपने ही वेतनमान में अपने कार्यों के अतिरिक्त अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला-खरसावां का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....319...../श्री अभिषेक बड़ाईक, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-गुमला) प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, चिरी, लोहरदगा-अतिरिक्त प्रभार-जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा को प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा का अतिरिक्त प्रभार से विमुक्त किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....320...../श्रीमती दास सुनन्दा चन्द्रमौलेश्वर, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-देवघर) जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा (सम्प्रति मातृत्व अवकाश में) को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

मातृत्व अवकाश के उपभोग करने के उपरांत श्रीमती मौलेश्वर के कर्तव्य पर उपस्थिति की तिथि से यह आदेश प्रभावी होगा।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....321...../श्री अभिजीत कुमार, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-राँची) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, बेरमो (तेनुघाट), बोकारो-(प्रतिनियुक्त झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची) को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

श्रीमती दास सुनन्दा चन्द्रमौलेश्वर, जिला शिक्षा अधीक्षक, लोहरदगा की मातृत्व अवकाश अवधि तक के लिए श्री कुमार को अपने कार्यों के अतिरिक्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....322...../श्री रामजी कुमार, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-हजारीबाग) क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, मांडर, राँची (प्रतिनियुक्त प्राथमिक शिक्षा निदेशालय, झारखंड, राँची) को उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के जिला शिक्षा अधीक्षक, चतरा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....323...../श्रीमती दीप्ति कुमारी, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-लातेहार) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, राँची- अतिरिक्त प्रभार-प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रातू, राँची को प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रातू, राँची के पद से विमुक्त करते हुए अपने कार्यों के अतिरिक्त उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए संयुक्त सचिव, झारखंड अधिविध परिषद्, राँची का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किया जाता है।

सं.सं.-01/स्था०2-01/2008(खंड).....324...../श्री अभिषेक झा, (झा०शि०से०-2) (गृह जिला-पूर्वी सिंहभूम) अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, लोहरदगा (प्रतिनियुक्त झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची) को स्थानांतरित करते हुए उनके अपने ही वेतनमान में अगले आदेश तक के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(अरशद जमाल)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 01/स्था०2-01/2008(खंड)...../ राँची, दिनांक...../

प्रतिलिपि:- विभागीय नोडल पदाधिकारी, ई-गजट को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक:- 01/स्था०2-01/2008(खंड).....324...../ राँची, दिनांक.....19/02/25...../

प्रतिलिपि:-माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव, झारखंड, राँची / महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची / माननीय मुख्यमंत्री, झारखंड के प्रधान सचिव / माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / संयुक्त सचिव, (मुख्य सचिव कार्यालय, झारखंड) / सभी विभाग एवं सभी विभागाध्यक्ष, झारखंड / विभागीय सचिव के आप्त सचिव / राजस्व पर्षद, झारखंड, राँची / अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची / निदेशक, प्राथमिक / माध्यमिक शिक्षा, झारखंड / राज्य परियोजना निदेशक, झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची / निदेशक, झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राँची / निदेशक, राज्य मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, राँची / सचिव, झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण, राँची / सभी संबंधित उपायुक्त, झारखंड / विभागीय संयुक्त सचिव (स्थापना एवं आरोप शाखा) / अवर सचिव, वित्त विभाग, (वै०दा०नि०को०), झारखण्ड, राँची / सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी / सभी संबंधित क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक, झारखंड / सचिव, झारखंड अधिविध परिषद्, राँची / सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी संबंधित जिला शिक्षा अधीक्षक, झारखंड / सभी प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, झारखंड / सभी अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी एवं सभी क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, झारखंड / उपरोक्त सभी संबंधित पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के अवर सचिव।



103

103

103

103

103